उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा अनुभाग-7
संख्या- 4814 /15-7-1(145)/1995
लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 1995

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) की धारा 35 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1995 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) नियमावली, 1995

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) नियमावली, 1995 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम 11 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1995 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 11 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ-1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) प्रबन्धतंत्र अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसार रिक्तियाँ की संख्या का अवधारण करेगा और उन्हें निरीक्षक के माध्यम से आयोग को यहाँ दी गयी रीति से अधिसूचित करेगा ।	(1)(1) प्रबन्धतन्त्र, अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार, रिक्तियाँ की संख्या का अवधारण करेगा और उन्हें निरीक्षक के माध्यम से आयोग को यहाँ दी गयी रीति से अधिसूचित करेगा ।

.....2

नियम 12 का संशोधन

3— उक्त नियमावली के नियम 12 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2) आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और यथास्थिति, परिशिष्ट ख, ग, या घ में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता बिन्दुओं के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिये सूचियां तैयार करेगा, और प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी के पद के संबंध में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अधिकतम गुणवत्ता बिन्दुओं को प्राप्त किया हो, इस रीति से बुलायेगा कि अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के पांच गुने से कम न होगी।	(2) आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और, यथास्थिति, परिशिष्ट ख, ग, या घ में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता बिन्दुओं के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिये सूचियां तैयार करेगा और प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी के पद के संबंध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अधिकतम गुणवत्ता बिन्दुओं को प्राप्त किया हो, इस रीति से बुलायेगा कि अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या के पांच गुने से अधिक न होगी।

आज्ञा से,

(डा0 इन्दु प्रकाश ऐरन)
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN

Shiksha Anubhag - 7

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4814 /15-7-1(145)/95, dated 27 December, 1995.

NOTIFICATION

No. 4814 /15-7-1(145)/95

Lucknow : Dated 27 December, 1995

In exercise of the powers under section 35 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission Act, 1982 (U.P. Act No. 5 of 1982) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission Rules, 1995.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES COMMISSION (AMENDMENT) RULES, 1995

Short title and commencement. 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 11 2. In the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission Rules, 1995 hereinafter referred to as the said rules, in rule 11 for sub rule (1) set out in Column 1 below, the sub-rule as set out in Column 2, shall be substituted, namely :-

Column 1 Existing sub- rule	Column 2 Sub-rule as hereby substituted
11.(1) The Management shall determine the number of	11.(1) The Management shall determine the number of

---- 2

vacancies in accordance with sub-section (1) of section 15 of the Act and notify them through the Inspector, to the Commission in the manner hereinafter provided :	vacancies in accordance with sub-section (1) of section 10 of the Act and notify them through the Inspector, to the Commission in the manner hereinafter provided :

Amendment of rule 12

3. In rule 12 of the said rules, for sub-rule (2) set out in Column I below the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely :-

Column I Existing sub-rule	Column II Sub-rule as hereby substituted
(2) The Commission shall scrutinize the applications and prepare lists for each category of posts on the basis of quality points specified in Appendix B, C or D, as the case may be, and having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens in respect of the post of the teacher in lecturers and trained graduates (L.T.) grade, call for interview such candidates who have secured the maximum quality points in such manner that, the number of candidates shall not be less than five times of the number of vacancies.	(2) The Commission shall scrutinize the applications and prepare lists for each category of posts on the basis of quality points specified in Appendix B, C or D, as the case may be, and having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens in respect of the post of the teacher in lecturers and trained graduates (L.T.) grade, call for interview such candidates who have secured the maximum quality points in such manner that, the number of candidates shall not exceed five times than the number of vacancies.

By Order,

(W.P. Arun)
Principal Secretary.